डॉ. श्रीमती सूरज प्रकाश बनाम मोहिंदर पाल शर्मा
(अजय कुमार मित्तल, माननीय न्यायमूर्ति)

समक्ष जी.एस. सिंहवी और अजय कुमार मित्तल, माननीय नन्यायमूर्ति

डॉ. श्रीमती. सूरज प्रकाश - अपीलार्थी

बनाम

मोहिंदर पाल शर्मा, - प्रतिवादी

L.P.A. No. 1168 of 1987

13 दिसंबर, 2004

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 – धाराएँ 10 और 27 – धारा 10 में दायर की गई याचिका के लम्बन के दौरान पत्नी द्वारा दहेज का सामान वापस लेने के लिए धारा 27 में दायर की गई याचिका– ट्रायल कोर्ट द्वारा धारा 10 की याचिका को स्वीकार करना और धारा 27 के आवेदन में अलग से आदेश देना –ट्रायल न्यायालय द्वारा पति से उसके पास रखी कुछ वस्तुयें लौटाने का आदेश – आभूषणों की वापसी के लिए पत्नी की प्रार्थना ख़ारिज– माननीय एकल न्यायाधीश का आदेश कि ट्रायल कोर्ट के पास धारा 27 के आवेदन पर अलग से निर्णय देने का क्षेत्राधिकार नहीं है, लेकिन ट्रायल कोर्ट के आदेश के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया – क्या अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रक्रिया में अपने आभूषण की वापसी के लिए धारा 27 के तहत एक आवेदन दाखिल कर सकती हैं। – निर्णय , हाँ –हालांकि, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पत्नी को गहनों की एवज़ में पति द्वारा 20,000/- रुपये दिलवाए गये।

निर्णय, धारा 27 के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण इस निष्कर्ष की ओर जाता है कि अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय के पास पति और पत्नी को विवाह के समय या उसके आस पास मिली संयुक्त सम्पति के संदर्भ में निर्णय देने का अधिकार है।

(पैरा 9)

बालाकृष्ण रामचंद्र कदम बनाम संगीता कदम, JT 1997 (7) SC 742 वर्तमान मामले पर पूरी तरह लागू है। इसलिए माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश कि धारा 27 के आवेदन का धारा 10 की मुख्य याचिका के साथ ही निपटान किया जाना चाहिए था और ट्रायल कोर्ट के पास धारा 27 के आवेदन पर अलग से निर्णय देने का क्षेत्राधिकार नहीं है , स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(पैरा 4 और 12)

आदर्श जैन, अपीलकर्ता के लिए वकील

आर.एस. सिहोता, प्रतिवादी के लिए वक़ील

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल,

(1) इस आदेश के द्वारा हम दिनांक 8 सितंबर, 1987 में केस संख्या F.A.O No. 239-M of 1986 में विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न होने वाली लैटर पेटेंट अपील और क्रॉस आपत्तियों का निपटान कर रहे हैं।

(2) दोनों पक्षों ने 25 नवंबर, 1984 को विवाह किया । विवाह के एक वर्ष से भी कम समय में, 7 अगस्त, 1985 को अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 10 के अंतर्गत प्रतिवादी से न्यायिक अलगाव के लिए याचिका दायर की । उस याचिका के चलते, अपीलकर्ता ने 25 जुलाई, 1985 को अधिनियम की धारा 27 के तहत एक अन्य आवेदन भी दिया, जिसमें उसने संलग्न की गई सूची के अनुसार दहेज में दी गई वस्तुओं की वापसी के लिए प्रार्थना की । धारा 27 की याचिका के साथ दायर की गई सूची के अनुसार आभूषणों का मूल्य 50,000 रुपये था । उसने यह भी प्रार्थना की कि दहेज की

वस्तुओं को वापस करने का आदेश धारा 10 के तहत दायर मुख्य याचिका के निर्णय से पहले दिया जाए । हालांकि, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र, ने अपीलकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और धारा 10 के तहत दायर याचिका का निपटारा 17 अक्टूबर, 1985 को दिए गए आदेश द्वारा कर दिया और न्यायिक अलगाव को मंजूरी दे दी ।

(3) "अधिनियम के अनुच्छेद 27 के तहत किए गए आवेदन पर, पक्षों ने अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए और उनका विस्तार से मूल्यांकन करने के करने के उपरांत बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने यह निर्धारण किया कि आभूषण के अलावा कुछ वस्तुएँ अभी भी प्रतिवादी के पास थी और उन्होंने प्रतिवादी को वह वस्तुएँ अपीलार्थी को लौटाने का निर्देश दिया । हालांकि, विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आपीलकर्ता की आभूषणों को लौटाने की प्रार्थना को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ ख़ारिज कर दिया:–

> “साक्षय में यह भी आया है कि प्रार्थी जब अपना वैवाहिक घर छोड़कर गई, तो वह अपने साथ अपने पति के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, डिग्री एवं विवाह की एल्बम भी साथ में ले आयी। यह भी सर्वविदित है कि अपने पति के बाद, एक युवा नवविवाहित महिला को अपने आभूषण से लगाव होता है। इसलिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता अपने गहने पहनती थी या कम से कम उसने आभूषणों को अपने पास रखा था, विशेष रूप से तब जब उसके अपने पति और सास-ससुर के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए थे।

इसी तरह, 7 मार्च, 1985 को त्योहार के दिन, याचिकाकर्ता द्वारा उन सभी गहनों के पहनने की उम्मीद थी। इसी प्रकार याचिकाकर्ता ने अपने पति और सास ससुर की अनुपस्थिति में वैवाहिक घर छोड़ दिया और यदि वह इस हद तक जा सकती थी कि वह अपने साथ विवाह की एल्बम और अपने पति के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, डिग्री भी ले आयी, तो स्वाभाविक था कि वह अपने आभूषण भी साथ लाई होगी।

इन सभी परिस्थितियों को साथ में देखने पर यह संकेत मिलता है की याचिकाकर्ता अपने सास ससुर पर कभी विश्वास नहीं करती थी, और जब उसने 8 मार्च, 1985 को अपने पति और अपने सास ससुर की अनुपस्थिति में अपना वैवाहिक घर छोड़ा, तो वह अपने साथ अपने सारे गहने ले गई।वह सभी गहने अपने माता-पिता के घर ले गई थी। साक्ष्य में यह बात भी निकल के आयी कि 8 मार्च, 1985 को अपना वैवाहिक घर छोड़ते समय वह अपने साथ एक या दो बस्ते भी लेकर गई । इसलिये याचिकाकर्ता का प्रतिवादी के खिलाफ आभूषणों के मामले का दावा खारिज किया जाता है। “

(4) विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा 12 नवम्बर, 1986 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने अलग अलग अपीलें दायर की जो F.A.O. No. 239-M of 1986 और F.A.O. No. 12-M of 1987 हैं। दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद माननीय एकल न्यायमूर्ति ने यह निर्णय

दिया कि अधिनियम की धारा 27 के तहत दायर आवेदन का निपटान अपीलकर्ता द्वारा धारा 10 के तहत दायर की गई मुख्य याचिका के साथ किया जाना चाहिए था और विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा धारा 27 के आवेदन का अलग से निर्णय देना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं था, किंतु उन्होंने 12 नवंबर, 1986 को पारित आदेश के साथ हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

(5) अपीलकर्ता ने माननीय एकल न्यायमूर्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर लेटर पेटेंट के धारा X में अपील दायर की और प्रतिवादी ने इस दलील के विरुद्ध क्रॉस आपत्ति दायर की है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास धारा 27 के आवेदन का अलग से निर्णय देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था ।

(6) अपीलकर्ता के वकील श्री आदर्श जैन ने अदालत द्वारा 12 नवंबर, 1986 को पारित आदेश को सही ठहराया , जिसमें उन्होंने अदालत दवारा द्वारा धारा 27 के आवेदन का अलग से निर्णय देने को सही ठहराया।उन्होंने यह तर्क दिया कि अपीलकर्ता को न्यायालय की गलती के आधार पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा धारा 10 के तहत दी गई याचिका एवं धारा 27 के तहत दिये गये आवेदन को साथ में निर्णीत ना करने से न्यायिक न्यायालय द्वारा 12 नवंबर, 1986 को पारित आदेश प्रभावित नहीं होगा । उन्होंने सुझाव दिया कि 12 नवंबर, 1986 के आदेश को 12 दिसंबर, 1985 के न्यायिक न्यायालय द्वारा पारित मुख्य निर्णय का हिस्सा मानना चाहिए। इन तर्कों के समर्थन में श्री जैन ने 'बलकृष्ण

रामचंद्र कदम बनाम संगीता बलकृष्ण कदम' [1] मामले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ दिया।

(7) श्री आर.एस. सिहोटा, प्रतिवादी के विद्वत वकील, ने **प्रतिभा राणी बनाम सुरज कुमार और अन्य** [2] मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया। उन्होंने यह दावा किया कि अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दाख़िल किए गए आवेदन को ख़ारिज कर दिया जाना चाहिए था। श्री सिहोटा ने इस बात का बल दिया कि अपीलकर्ता का आभूषण लौटाने के संबंध में उसका दावा न मना जाना चाहिए क्योंकि यह उसका इस्त्रीधन था और वह उसकी पूर्ण मालिक थी और इस प्रकार, इसे धारा 27 के अधीन अपीलकर्ता और पति की साँझा सम्पत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता था।

(8) हमने प्रत्येक पक्ष द्वारा दी गई दलीलों पर गंभीर विचार किया है। इस अपील और क्रॉस आपत्तियों में उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रक्रिया में अपने आभूषण की वापसी के लिए धारा 27 के तहत एक आवेदन दाखिल कर सकती हैं। अधिनियम की धारा 27 इस प्रकार है -

---

(1) J.T. 1997 (7) S.C. 742

(2) AIR 1985 S.C. 628

> “27. सम्पति का व्ययन- इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय पति और पत्नी को विवाह के समय या उसके आस-पास मिली संयुक्त सम्पति के संदर्भ में डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे।

(9) पूर्वोक्त प्रावधानों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से एक अनूठा निष्कर्ष निकलता है कि अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में डिक्री पास करते समय, अदालत शादी के समय या उसके आस पास प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी संपत्ति के संदर्भ में प्रावधान कर सकती है, जो पति और पत्नी दोनों के पास संयुक्त रूप से हो।

(10) बालकृष्ण रामचंद्र कदम (Supra) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 27 के दायरे पर विचार करते हुए पैरा 10 और 13 में इस प्रकार संक्षेपित किया है: –

> "10. धारा के सामान्य पठन के अनुसार, यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय पति और पत्नी की संयुक्त सम्पति के संदर्भ में डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे। इस धारा के तहत पत्नी को एक वैकल्पिक उपाय प्रदान किया जाता है ताकि वह विवाह संबंधित किसी भी प्रक्रिया में संपत्ति को प्राप्त कर सके और उसे अलग दिवानी मुकदमा ना दायर करना पड़े । वर्तमान मामले में पत्नी ने आभूषणों की कुछ वस्तुओं के लिए दावा किया था और

उसने अपने बयान में उन वस्तुओं का उल्लेख किया था जो उसे विवाह के समय मिली थी और खासकर उसने उन आभूषणों का उल्लेख किया जो उसके पिता ने शादी के समय उसे दिए थे।

13. हमारे विचार से, न्यायालय ने मामले को सही दृष्टिकोण से नहीं देखा। न्यायालय ने पत्नी के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास पक्षों के संपत्ति अधिकारों को पर निर्णय देने का अधिकार नहीं था और अदालत ने पक्षों को अपने दावों को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका भी नहीं दिया। न्यायालय के फैसले ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा, जिस में अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय के पास पति और पत्नी को विवाह के समय या उसके आस पास मिली संयुक्त सम्पति के संदर्भ में निर्णय देने का अधिकार है। माननीय एकल न्यायाधीश भी इस त्रुटि में पड़े, जब उन्होंने न्यायालय के विचार के साथ सहमत होकर कहा कि इस बात का कोई साक्षय नहीं है कि पत्नी द्वारा माँगी गई संपत्ति उसके विवाह के समय प्रस्तुत की गई थी। माननीय एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी की गवाही पर भी ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा, धारा 27 के अन्तर्गत आने वाली संपत्ति केवल विवाह के समय पत्नी को दी जाने वाली संपत्ति नहीं है। इसमें विवाह से पहले या विवाह के बाद पक्षों को दी जाने वाली संपत्ति भी शामिल है, जब तक वह विवाह से संबंधित हो।अधिनियम की धारा 27 में प्रस्तुत पंक्तियाँ - "विवाह के समय या उसके आस-पास" की इस प्रकार से व्याख्या की जानी चाहिए, ताकि इसमें विवाह के समय और विवाह के पहले या विवाह के बाद प्रस्तुत की गई संपत्ति शामिल हो, जो पति पत्नी की "संयुक्त संपत्ति" बन गई हो । इसका अर्थ है कि संपत्ति शादी से संबंधित हो। अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत ऐसी सभी संपत्तियाँ आती हैं।"

(11) प्रतिभा रानी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसे मामले को देख रहा था जिसमें अदालत से यह अनुरोध किया गया था कि विवाह के पश्चात पत्नी के इस्तरीधन का स्वामित्व उसके पति या उसके संबंधितों के साथ संयुक्त हो जाता है, इसलिए इस्तरीधन के संदर्भ में पति की आपराधिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया और यह कहा कि भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 405 और 406 के संदर्भ में इस्तरीधन के स्वामित्व को संयुक्त नहीं माना जा सकता है और पति को दुर्विनियोजन के आरोप में मुक़दमे से प्रतिरक्षा नहीं मिल सकती है।

(12) हमारी राय में बालकृष्ण रामचंद्र कदम के मामले (Supra) में जो कानून का सिद्धांत रखा गया था, वह इस वर्तमान मामले में लागू होता है। इसलिए, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(13) सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने सहमति दी कि क्योंकि पहली अपील और वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील इस न्यायालय में लगभग 20 साल से लंबित है , इस अपील में इस मामले पर निर्णायक निर्णय दिया जाए ताकि आगे की देरी से बचा जा सके।

(14) मेरिट्स पर, अपीलकर्ता के वकील श्री आदर्श जैन ने गवाहों की गवाही और विशेष रूप से PW8-खुशी राम का हवाला दिया और अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये प्रेरित किया कि पति के परिवार को 20 तोले सोना

दिया गया था जो उन्होंने वापिस नहीं किया है। रिकॉर्ड देखने पर यह तथ्य सामने आता है कि दोनों पक्ष आभूषणों के संबंध में मंदिर में शपथ लेने के लिए सहमत हुए थे। रिकॉर्ड के अनुसार, लोकल कमिश्नर की उपस्थिति में दोनों पक्ष अपने संबंधित दावों पर अड़े रहे। इसके मद्देनजर, यह निश्चित शब्दों में नहीं कहा जा सकता है कि कौनसा पक्ष ग़लत बयान दे रहा है।पत्नी द्वारा दायर धारा 27 के आवेदन में उसने 50 तोले आभूषण का मूल्य लगभग 50,000/- रुपये आंका था। PW-8 ख़ुशी राम ने गवाही दी कि पत्नी द्वारा याचिका में उल्लिखित आभूषण शादी के समय दिए गए थे, लेकिन वह सटीकता के साथ गहनों की मात्रा नहीं बता सकते क्योंकि उनकी मौजूदगी में गहने कभी भी तोले नहीं गए थे। हालांकि, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी राय में न्याय की माँग यह है कि पति द्वारा अपीलार्थी पत्नी को विवाह के समय मिले गहनों की एवज़ में 20,000/- रुपये दिये जाये।

(15) अपील और क्रॉस आपत्तियों का निपटारा उपरोक्त ढंग से किया जाता है। दोनों पक्षों को इस याचिका का खर्च स्वयं उठाना होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा